मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

(ए–173 / रासूआ / 35–1 / जबलपुर / 2006)

श्री ठाकुर हरपाल सिंह चंदेल, अपीलकर्ता
द्वारा चन्देल एस.टी.डी सेन्टर कटंगी,
नियर कटंगी बस स्टेन्ड मेन रोड,
तह0पाटन, जिला जबलपुर

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री, **लोक सूचना अधिकारी**
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय,
खण्ड कार्यालय जबलपुर

आदेश

(दिनांक 19.06.06)

यह अपील श्री हरपाल सिंह चन्देल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.11.05 और लोक सूचना अधिकारी के आदेश दिनांक 06.02.06 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपीलकर्ता ने दो आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 01 अक्टूबर 05 को लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड जबलपुर में प्रस्तुत की थी । पहले आवेदन पत्र में उन्होंने निम्नांकित जानकारी मांगी थीः–

> ''सूचना के अधिकार के तहत पी.एच.ई. सब डिवीजन, जबलपुर के दिनांक 16.08.2005 से 23.09.2005 तक के हेंड पम्प संधारण तथा ग्रामीण नल जल योजनाओं में भुगतान किये गये हैंड रिसीप्ट से जो भुगतान हुये हैं उनकी छायाप्रति दें तथा सूचना के अधिकार के तहत मुझे कितनी राशि जमा करना है एक सप्ताह के अंदर सूचित करने का कष्ट करें।''

2. दूसरे आवेदन में उन्होंने निम्नानुसार जानकारी मांगी थी :–

> ''आपके खण्ड कार्यालय के अन्तर्गत सभी उपखण्डों में नल जल योजनायें / स्थल जल योजनाओं में 1 जनवरी 2005 से 25 सितम्बर 2005 तक

विभागीय रूप से कराये गये सभी कार्यो की योजनायें बार हेण्ड रिसिप्ट से किये गये भुगतान की फोटो कॉपी एवं मेजरमेन्ट बुक में किये गये कार्यो के जैसे कोटेशन से भुगतान, हेण्ड रिसिप्ट से किये गये लेबर पेमेन्ट एवं मेजरमेन्ट की सत्यप्रति फोटोकॉपी देने का कष्ट करें । इसके अतिरिक्त हेण्ड पम्प रिचाजिंग 1 जनवरी 2005 से 25 सितम्बर 2005 तक के हैण्ड रिसिप्ट से किये गये पेमेन्ट एवं मेजरमेंट की सत्यप्रति फोटोकॉपी एवं जिन गावों में रिचार्जिंग के काम हुये हैं उनकी सूची एवं लोकेशन भी प्रदान करने का कष्ट करें।''

3. इस आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त यह दोनो आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, जो दिनांक 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावशील हुआ है, के प्रभावशील होने के पहले प्रस्तुत किये गये थे । अपीलकर्ता ने दिनांक 21.10.05 को इन दोनों आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में 20/- रूपये का निर्धारित शुल्क जमा किया । इसलिये यह आवेदन पत्र दिनांक 21.10.05 को प्रस्तुत किया जाना मानना चाहिए ।

4. अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 7 (3) (1) के अन्तर्गत 30 दिन की अवधि में सूचना नहीं मिलने पर अपील अधीक्षण यंत्री के समक्ष दिनांक 22.11.05 को प्रस्तुत की। इस अपील पर अधीक्षण यंत्री ने लोक सूचना अधिकारी और कार्यपालन यंत्री के आदेश में पृच्छा की कि उन्होने निर्धारित 30 दिन की अवधि के अन्दर जानकारी अपीलकर्ता को क्यों नहीं उपलब्ध कराई है। उन्होने यह भी निर्देश दिये इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से उन्हे अवगत कराया जाये और अपीलकर्ता को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाये। यदि जानकारी उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई आ रही है तो इसकी जानकारी उन्हें (अधीक्षण यंत्री) को दे । यह निर्देश दिनांक 23.11.2005 को दिये गये थे । इस निर्देश के परिप्रेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री ने दिनांक 29.12.05 को एक पत्र भेजकर अपीलकर्ता को रूपये 3414/- जमा करने के निर्देश दिये । अपीलकर्ता का यह कहना है कि वे कई बार लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में गये लेकिन, यह राशि उनसे जमा नहीं कराई गई। दिनांक 06.02.06 को उन्हें पत्र दिया गया जिसमें यह उल्लेखित किया गया कि लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री ने अपने पत्र क्रमांक 425/व0ले0लि0/ दिनांक 25.01.06 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग से इस प्रकार की सूचना देने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन मांगा है।

5. इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण यह अपील अपीलकर्ता ने राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है। अपील ज्ञापन की प्रति कार्यपालन यंत्री को प्रतिवेदन देने के लिये भेजी गयी थी । इस अपील पर लोक सूचना अधिकारी से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ किन्तु अपीलीय अधिकारी से

प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस प्रतिवेदन का इस अपील से कोई सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि प्रतिवेदन में नम्बर इत्यादि सही दिये गये हैं लेकिन, अधीक्षण यंत्री ने इस प्रतिवेदन को भेजते समय यह सुनिश्चित नहीं किया है कि जिस अपील के सम्बन्ध में प्रतिवेदन मांगा गया है उसका सम्बन्ध उससे है या नहीं । स्पष्टतः उन्होने आयोग को प्रतिवेदन भेजते समय उसे पढ़ने का भी कष्ट नहीं किया । यह अत्यन्त अशोभनीय है जिसे प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ध्यान में लाया जाना चाहिये ।

6. इस अपील पर दिनांक 15 जून 06 को जबलपुर में सुनवाई की गई जिसमें अपीलकर्ता अपने अभिभाषक श्री श्रीकान्त दुबे के साथ उपस्थित हुए । नियमित लोक सूचना अधिकारी प्रशिक्षण पर गये थे उनके स्थान पर प्रभारी लोक सूचना अधिकारी श्री जी.पी.कोली उपस्थित थे । इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना गया । अपीलकर्ता के ध्यान में यह बात लाई गयी कि, उन्होने जो दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है उसमे यह बात स्पष्ट नहीं की गई कि, जो जानकारी उन्होने मांगी है वह कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में संधारित होती है या उप खण्डों में संधारित होती है । कार्यपालन यंत्री एवं लोक सूचना अधिकारी केवल अपने कार्यालय से सम्बन्धित जानकारी दे सकते हैं । यदि जानकारी उप खण्डों में संधारित की जाती है तो अपीलकर्ता को चाहिए कि वह जिस उपखण्ड में जानकारी संधारित होती है, उसके लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दे और उनसे जानकरी प्राप्त करें । सूचना के अधिकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री व लोक सूचना अधिकारी अन्य कार्यालयों से जानकारी संकलित कर प्रस्तुत करें ।

7. सुनवाई के समय इन निर्देशों को देने पर अपीलकर्ता ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निम्न बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है :—

1. नल जल योजनाओं/स्थल जल योजना 1 जनवरी 2005 से 30 सितम्बर 2005 विभागीय रूप से करायें गये सभी कार्यो की लेबर को किये गये भुगतान की हैण्ड रिसिप्ट की छाया प्रति ।

2. मेजरमेंट बुक में किये गये कार्य जैसे कोटेशन से भुगतान, हैण्ड रिसिप्ट, लेबर पेमेंट हैण्ड रिसिप्ट की छाया प्रति ।

3. हैण्ड पम्प रिर्चाजिंग 01 जनवरी 2005 से 30.09.05 हैण्ड रिसिप्ट से लेबर पेमेंट एवं मेजरमेंट बुक छाया प्रति।

4. रिर्चारिंग वाले पम्प की लोकेशन सहित।

8. प्रभारी लोक सूचना अधिकारी से यह पूछा गया कि इसमें से कौन–कौन सी जानकारी उनके कार्यालय में संधारित की जाती है जो अपीलकर्ता को दी जा सकती है। उन्होने बताया कि हैन्ड रिसिप्ट की प्रति कार्यपालन यंत्री कार्यालय में प्राप्त होती है इनकी प्रति दी जा सकती है। मेजरमेन्ट की पुस्तिका सहायक यंत्री एवं उप खण्ड अधिकारी के पास रहती है । यह संबंधित अधिकारी को नाम से दी जाती है और यह उन्ही के यहां संधारित की जाती है । यह जानकारी कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहती है इसलिये यह निर्देश दिया जाते हैं कि, अपीलकर्ता सहायक यंत्री व उप खण्ड अधिकारी के यहां आवेदन पत्र देकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हैण्ड पम्प रिचार्जिंग के सम्बन्ध में श्रमिकों को दिये जाने वाली हैण्ड रिसिप्ट की जानकारी व मेजरमेन्ट बुक की जानकारी भी उपखण्ड में रहती है । अपीलकर्ता सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में संधारित नहीं की जाती । इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता ने सभी पम्पों की रिचार्जिग की जानकारी चाही है । प्रभारी लोक सूचना अधिकारी का कहना है कि इस सम्बन्ध में कोई स्टेटमेन्ट उनके कार्यालय में नहीं आता है इसलिये वे यह जानकारी अपने कार्यालय में नहीं रखते है । अपीलकर्ता सम्बन्धित उप खण्ड/सहायक यंत्री को आवेदन देकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

9. उपरोक्त निर्देशों के साथ इस अपील को निरस्त किया जाता है ।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
19 जून 2006